श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार

श्री समीर कुमार महासेठ
उद्योग मंत्री, बिहार सरकार

बिहार स्टार्ट–अप नीति–2022
BIHAR START-UP POLICY-2022

startup BIHAR

बिहार सरकार

उद्योग विभाग, बिहार सरकार

बिहार स्टार्ट–अप नीति–2022

बिहार सरकार

उद्योग विभाग
बिहार सरकार

विषय–सूची

1.	प्रस्तावना	1
2.	बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2022 की संकल्पना	1
3.	नीति अवधि	1
4.	उद्देश्य	1
5.	बिहार में स्टार्ट–अप की पात्रता	2
6.	संस्थागत ढांचा	2
7.	स्टार्ट–अप के लिए आवेदन प्रक्रिया और उनका प्रमाणीकरण	6
8.	युवाः स्टार्ट–अप को समर्थन देने और एक सक्षम ईको–सिस्टम बनाने के लिए कार्य योजना	7
9.	युवाः स्टार्ट–अप को हाँ	7
10.	युवाः स्टार्ट–अप को सहायता हेतु विनियामकों से उन्मुक्त करना	8
11.	युवाः शिक्षातंत्र में स्पंदन	9
12.	युवाः वित्त और इन्क्युबेशन सहायता तक पहुँच	10
13.	बाहर निकलने की शर्तें	13
14.	नेकनीयती से की गई कार्रवाई का संरक्षण	13
परिभाषाएँ		15

बिहार सरकार, उद्योग विभाग

संकल्प

1. प्रस्तावना

बिहार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास के साथ विकास के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर है। बिहार सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने और समावेशी विकास हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्टार्ट–अप्स और नवाचार आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे नवाचार को बढ़ावा देकर और एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र बनाकर महसूस किया जा सकता है जो स्टार्ट–अप को अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक पोषण देता है। रोजगार सृजित करने के अलावा, स्टार्ट–अप नई पीढ़ी के समाधान बनाने के लिए नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आर्थिक गतिशीलता लाते हैं।

1.2 राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टार्ट–अप नीति–2016 का सूत्रण कर संकल्प संख्याः 1849, दिनांकः 07.09.2016 द्वारा अधिसूचित किया गया है। यह एक स्वतंत्र और पारदर्शी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करने हेतु था, जहाँ राज्य द्वारा वित्त पोषण, प्रोत्साहन एवं नीतिगत समर्थन दिया जाना है, जो बाद में बिहार स्टार्ट–अप नीति–2017 के रूप में संशोधित किया गया। राज्य द्वारा रू. 500 करोड़ की प्रारंभिक कोष के साथ न्यास की स्थापना की गयी है, जो इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी के रूप कार्य कर रहा है।

1.3 इस पारिस्थितिक तंत्र को और बढ़ावा देने हेतु एवं राज्य के युवाओं और उद्यमियों के लिए और अधिक समग्र एवं लाभकारी बनाने के उद्‌देश्य से बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2022 को मंजूरी दी गयी है।

2. बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2022 की संकल्पना :

''राज्य में समावेशी विकास के लिए एक अनुकूल स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से स्थानीय युवाओं की क्षमता का लाभ उठाकर बिहार को स्टार्ट–अप और उद्यमियों के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरने हेतु सक्षम बनाना'' है।

3. नीति की अवधि :

बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2022 अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी तथा 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी।

4. उद्देश्य :

4.1 ''उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार अभियान'', उद्यमिता पुरस्कार, नवाचार चुनौतियां और व्यवसाय योजना प्रतिस्पर्धा आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और उद्यमियों के बीच उद्यमिता शिक्षा और जीवनवृति को उपस्थापित करना, बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहित करना।

4.2 स्टार्ट–अप की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए उन्हें सीड् फंडिग के साथ–साथ मैचिंग ग्राण्ट की सहायता प्रदान करना।

4.3 युवाओं के मध्य जागरूकता बढ़ाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता विकास केन्द्रों और उद्यमिता सुविधा केन्द्रों के विकास को सुगम बनाना।

4.4 विश्वविद्यालयों, स्कूलों में लर्निंग मॉड्यूल, एम.ओ.ओ.सी. (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स), इंटर्नशिप आदि प्रारंभ करते हुए शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।

4.5 नए एवं विद्यमान इन्क्यूबेटरों / सामान्य बुनियादी ढांचे / सामूहिक कार्य स्थलों के विकास एवं विस्तार को प्रोत्साहित करना।

4.6 वित्तीय सहायता (सेबी पंजीकृत– वैकल्पिक निवेश कोष, इम्पैनल्ड एंजेल निवेशक, आदि), नियामक सहायता, सलाहकारों और इम्पैनल्ड परियोजना प्रबंधन परामर्शियों के नेटवर्क तक स्टार्ट–अप की पहुँच के लिए एकल समेकित पोर्टल उपलब्ध कराना।

4.7 स्टार्ट–अप के लिए बाधा मुक्त और समयबद्ध वैधानिक मंजूरी को सक्षम बनाना।

4.8 मेंटरिंग, हैंड होल्डिंग, ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन विजिट्स इत्यादि के माध्यम से स्टार्ट–अप्स को पोषण देकर सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त संस्थागत सहायता प्रदान करना।

4.9 कोई अन्य गतिविधि, जो राज्य में स्टार्ट–अप पारिस्थितिक तंत्र को और सक्षम बनाए।

5. बिहार में स्टार्ट–अप की पात्रता :

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर किसी भी इकाई को स्टार्ट–अप के रूप में माना जाएगाः

i. यदि यह कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में गठित / पंजीकृत की गयी हो या एक साझेदारी फर्म के रूप में पंजीकृत (साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के तहत) हो या एक सीमित देयता भागीदारी फर्म के रूप में (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत) पंजीकृत हो। इकाई का गठन / पंजीकरण 10 वर्ष से अधिक अवधि का नहीं हो।

ii. इकाई के गठन / पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए कारोबार एक सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो।

iii. इकाई नवाचार, उत्पाद प्रक्रिया या सेवाओं के विकास या सुधार की दिशा में कार्य कर रही हो या यदि यह रोजगार सृजन एवं संसाधन सृजन की उच्च क्षमता के साथ एक स्केलेवल व्यवसाय मॉडल हो।

iv. परन्तु मौजूदा व्यवसाय के विभाजन या पुनर्निर्माण द्वारा बनाई गई इकाई को 'स्टार्ट–अप' नहीं माना जाएगा।

v. इकाई बिहार में गठित या पंजीकृत हो और कार्यालय बिहार में हो।

vi. इकाई के संचालन पर लागू होनेवाले कर बिहार में देय हो।

6. संस्थागत ढांचा :

बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2022 के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा की स्थापना निम्न प्रकार की जाएगीः

a. बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट (बी.एस.एफ.टी.) विकास आयुक्त, बिहार सरकार की अध्यक्षता में नीतिगत मामलों पर विचार–विमर्श, अंतर–विभागीय सहयोग और नीति कार्यान्वयन परिणामों पर अर्द्धवार्षिक प्रगति की समीक्षा के लिए कार्य करेगी।

b. स्टार्ट–अप अनुश्रवण और कार्यान्वयन समिति (एस.एम.आई.सी.) नीति के कार्यान्वयन, अंतर–विभागीय समन्वय या पी.ए.सी. द्वारा निर्णय लेने हेतु संदर्भित किसी विषय पर निर्णय लेना।

c. प्रारंभिक जाँच समिति (पी.एस.सी.) एस.एस.यू. के काम की निगरानी के साथ–साथ स्टार्ट–अप नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निर्णय लेना।

d. स्टार्ट–अप सपोर्ट यूनिट (एस.एस.यू.) स्टार्ट–अप संबंधित सभी मामलों के लिए एकल संपर्क केन्द्र के रूप में कार्य करेगी।

6.1 बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट (बी.एस.एफ.टी.)

बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट, विकास आयुक्त, बिहार सरकार की अध्यक्षता में गठित एक स्वायत्त निकाय है। बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट (बी.एस.एफ.टी.) की संरचना इस प्रकार है:

क्र.	सदस्य	पद
1.	विकास आयुक्त, बिहार	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य सचिव
3.	प्रधान सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4.	प्रधान सचिव, योजना विभाग	सदस्य
5.	प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	सदस्य
6.	उद्योग विभाग द्वारा मनोनीत स्टार्ट–अप के क्षेत्र में 02 (दो) प्रख्यात विशेषज्ञ	सदस्य
7.	निदेशक, आई.आई.टी., पटना; निदेशक, सी.आई.एम.पी., पटना	सदस्य
8.	उद्योग विभाग द्वारा मनोनीत उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाले संघों, संगठनों एवं संस्थानों के 02 (दो) प्रतिनिधि	सदस्य
9.	वित्तीय प्रबंधन कम्पनी / सोसाईटी के प्रतिनिधि	सदस्य

6.1.1 बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट की भूमिका :

a. स्टार्ट–अप नीति का अनुश्रवण और समीक्षा तथा इसका कार्यान्वयन।

b. स्टार्ट–अप नीति में यथा आवश्यक संशोधन और / या बदलाव।

c. मुख्य विषयों जैसे स्टार्ट–अप की रेटिंग प्रणाली, स्टार्ट–अप के अनुमोदन एवं हैण्ड होल्डिंग के लिए विस्तृत दिशा निर्देश इत्यादि का अनुमोदन।

d. नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, यदि आवश्यक हो, केन्द्र तथा राज्य के अन्य विभागों के साथ संपर्क एवं समन्वय।

स्टार्ट–अप मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमिटी (एस.एम.आई.सी.) द्वारा संदर्भित अन्य बिन्दु।

6.2 स्टार्ट–अप मॉनिटरिंग एण्ड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी (एस.एम.आई.सी.)

एस.एम.आई.सी. का गठन प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में किया जाएगा। एस.एम.आई. सी. की संरचना निम्न प्रकार होगी:

क्र.	सदस्य	पद
1.	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग	अध्यक्ष
2.	उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित निदेशक	सदस्य सचिव
3.	वित्त विभाग द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
4.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
5.	सूचना एवं प्रावैधिकी द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
6.	उद्योग विभाग द्वारा मनोनीत इनक्यूबेटरों के 02 (दो) प्रतिनिधि	सदस्य
7.	उद्योग विभाग द्वारा मनोनीत उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाले संघों, संगठनों एवं संस्थानों के 02 (दो) प्रतिनिधि	सदस्य
8.	स्टार्ट–अप स्पोर्ट यूनिट के नोडल पदाधिकारी	सदस्य

एस.एम.आई.सी. की बैठक प्रायः आयोजित की जायेगी और दो लगातार बैठकों के बीच 45 दिनों से अधिक का अन्तराल नहीं होगा।

6.2.1 स्टार्ट–अप मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमिटी (एस.एम.आई.सी.) की भूमिका :

a. नीति का समग्र कार्यान्वयन।

b. स्टार्ट–अप्स के प्रमाणीकरण का अनुमोदन।

c. मेंटर्स, इन्क्यूबेटर्स, एंजल इनवेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट आदि जैसे स्टार्ट–अप इको सिस्टम के हितधारकों को ऑनबोर्ड करना और कॉमन स्पेस, स्टार्ट–अप पोर्टल, ई.डी.सी. इत्यादि जैसे बुनियादी संरचना का विकास।

d. स्टार्ट–अप के लिए सफलता अनुदान आदि के मैचिंग अनुदान की स्वीकृति।

e. नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य के अन्य विभागों के साथ संपर्क एवं समन्वय।

f. स्टार्ट–अप नीति के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित कोई अन्य विषय।

6.3 प्रारंभिक जाँच समिति (पी.एस.सी.)

उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित निदेशक की अध्यक्षता में एक प्रारंभिक जाँच समिति का गठन किया जाएगा। प्रारंभिक जाँच समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी:

क्र.	सदस्य	सदस्य
1.	उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित निदेशक	अध्यक्ष
2.	उद्योग विभाग द्वारा नामित इन्क्यूबेटरों के 02 (दो) प्रतिनिधि	सदस्य
3.	उद्योग विभाग द्वारा मनोनीत उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाले संघों, संगठनों एवं संस्थानों के 02(दो) प्रतिनिधि	सदस्य
4.	स्टार्ट–अप सपोर्ट यूनिट के नोडल पदाधिकारी	सदस्य सचिव

6.3.1 प्रारंभिक जाँच समिति की भूमिका :

a. पी.एम.ए. / टी.पी.ए. द्वारा सूचीबद्ध आवेदनों का अनुमोदन एवं संबंधित क्षेत्र के इन्क्यूबेटरों के साथ उनको संबद्ध करना।

b. सलाहकारों, इन्क्यूबेटरों, एंजेल निवेशकों, उद्यम पूंजीपतियों इत्यादि जैसे स्टार्ट–अप पारिस्थितिक तंत्र के हितधारकों को ऑनबोर्ड करने और कॉमन स्पेस, ई.डी.सी., स्टार्ट–अप पोर्टल इत्यादि जैसे बुनियादी संरचना के विकास में एस.एम.आई.सी. की सहायता करना।

c. नीति के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न विषयों पर एस.एम.आई.सी. की सहायता।

d. स्टार्ट–अप सपोर्ट यूनिट (एस.एस.यू.) का अनुश्रवण।

e. स्टार्ट–अप और अन्य हितधारकों की शिकायतों का ससमय निवारण करना।

6.4 स्टार्ट–अप सपोर्ट यूनिट (एस.एस.यू.):

नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उद्योग विभाग के तहत एक स्टार्ट–अप सपोर्ट यूनिट (एस.एस.यू.) बनायी जाएगी। एस.एस.यू. राज्य में स्टार्ट–अप पारिस्थितिक तंत्र के निरंतर विकास हेतु एक अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगी।

यह पारिस्थितिक तंत्र के हितधारकों जैसे सलाहकारों, इन्क्यूबेटरों, एंजेल निवेशकों, पूँजीपतियों आदि के साथ संपर्क के लिए सिंगल विंडो के रूप में कार्य करेगी।

एस.एस.यू. के संचालन एवं प्रबंधन के लिए, उद्योग विभाग परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पी.एम.ए.) के माध्यम से अथवा उद्योग विभाग से पर्याप्त कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर सकता है। प्रभावी कामकाज हेतु एस.एस.यू. को सरकार के निगम या कंपनी में भी स्थापित किया जा सकता है।

6.4.1 स्टार्ट–अप सपोर्ट यूनिट (एस.एस.यू.) की भूमिका:

a. राज्य में स्टार्ट–अप को जानकारी प्रदान करने एवं हैंड होल्डिंग सपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए संपर्क के एकल बिन्दु के रूप में कार्य करना।

b ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का निष्पादन, उनकी जाँच और सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदन।

c. स्टार्ट–अप के साथ सभी तरह के संवाद।

d. स्टार्ट–अप को विभिन्न चरणों में हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट प्रदान करना।

e. स्टार्ट–अप के लिए सभी वैधानिक मंजूरी प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करना।

f. स्टार्ट–अप नीति के कार्यान्वयन के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करना।

g. स्टार्ट–अप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम, सत्र, प्रशिक्षण, भ्रमण और अन्य गतिविधियों का आयोजन करना।

6.5 तृतीय पक्ष एजेंसी (टी.पी.ए.) :

तृतीय पक्ष एजेंसी (टी0पी0ए0) को निम्न कार्य के लिए बोर्ड में लिया जा सकता है :

a. स्टार्ट–अप के लिए रेटिंग प्रणाली को डिजाइन करना।

b. अनुमोदित रेटिंग प्रणाली के अनुसार आवेदनों का मूल्यांकन करना।

c. स्टार्ट–अप के प्रमाणीकरण की अनुशंसा करना।

d. स्टार्ट–अप को प्राप्त रेटिंग के आधार पर स्वीकृत प्रावधानों के अनुसार बीजधन / मैचिंग अनुदान इत्यादि की अनुशंसा करना।

6.6 वित्तीय प्रबंधन कंपनी :

इस नीति के तहत बिहार सरकार की मौजूदा या नई कंपनी को वित्तीय प्रबंधन कंपनी बनाया जा सकता है। स्टार्ट–अप को एस.एम.आई.सी. द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन, ऋण और अन्य वित्तीय सहायता वित्तीय प्रबंधन कंपनी वितरित करेगी। यह निम्नलिखित कार्यकलापों को निष्पादित करेंगी :

a. ट्रस्ट की परिसंपत्ति का प्रबंधन।

b. स्टार्ट–अप को सहयोग एवं वित्तीय सहायता यथा– बीजधन अनुदान, प्रारंभिक चरण एवं स्केल अप फंडिग और नीति में उल्लिखित अन्य फडिंग सहायता प्रदान करना।

c. पारिस्थितिक तंत्र को विकसित और प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना जैसे कि उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ का गठन करना, सामान्य आधारभूत संरचना का विकास करना तथा बहुपक्षीय दाता एजेंसियों से धन जुटाना इत्यादि।

d. नीति के तहत निवेश संबंधी निर्णयों को समयबद्ध तरीके से सुगम बनाना।

7. स्टार्ट–अप के लिए आवेदन प्रक्रिया और उनका प्रमाणीकरण :

a. सभी स्टार्ट–अप अपने आईडिया को स्टार्ट–अप पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में विस्तृत विवरणी के साथ भरकर ऑनलाइन आवेदन जमा करेंगे।

b. एस.एस.यू. द्वारा पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की जाँच की जाएगी। एस.एस.यू. स्टार्ट अप फंड ट्रस्ट द्वारा

अनुमोदित मानदंड के अनुसार योग्य स्टार्ट–अप की छटनी कर सूचीबद्ध करेगा। एस.एस.यू. स्टार्ट–अप आवेदकों को उनके प्रस्तावों में सुधार के लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी प्रदान करेगा।

c. उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित निदेशक की अध्यक्षता में गठित ''प्रारंभिक जाँच समिति'' द्वारा सूचीबद्ध आवेदन का अनुमोदन कर इन्क्यूबेटर आवंटित किया जायेगा।

d. प्रारंभिक जाँच समिति द्वारा चयन किए गए आवेदनों को इनक्यूबेटरों से संबद्ध किया जाएगा। इन्क्यूबेटर्स अपने स्टार्ट–अप को हैंड–होल्डिंग सपोर्ट प्रदान करेंगे और इनक्यूबेशन प्रक्रिया के बाद निम्नलिखित मुद्दों पर स्टार्ट–अप के लिए एक प्रस्ताव तैयार करेंगे:

   i. बिजनेस प्लान

   ii. विभिन्न चरणों में आवश्यक फंडिंग सहायता की राशि

   iii. इस नीति के तहत बनाए गए सामान्य बुनियादी संरचना या अन्य बुनियादी संरचना की आवश्यकता

   iv. इस नीति के तहत अन्य परिकल्पित सहायता

e. इनक्यूबेटरों से प्राप्त अनुशंसा/प्रस्ताव की सूची का मूल्यांकन तृतीय पक्ष (टी.पी.ए.) द्वारा किया जाएगा और अनुमोदित रेटिंग मानदंड के अनुसार रेटिंग प्रदान की जाएगी।

f- स्टार्ट–अप मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी (SMIC) इन अनुशंसाओं की जाँच करेगी और रेटिंग मानदंड के अनुसार स्टार्ट–अप को प्रमाणित करेगी।

g. स्टार्ट–अप को रेटिंग तंत्र के माध्यम से प्राप्त अंक एवं उनके वर्गीकरण के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन और अन्य सहायता प्रदान की जाएगी। बी.एस.एफ.टी. के अनुमोदन से विस्तृत दिशा–निर्देश को अंतिम रूप दिया जाएगा।

8. युवा : स्टार्ट–अप को समर्थन देने और एक सक्षम ईको–सिस्टम बनाने के लिए कार्य योजना :

8.1 बिहार स्टार्ट–अप नीति की रूप–रेखा निम्नलिखित चार स्तंभों पर तैयार की गई है :

स्टार्ट–अप को हाँ : जागरूकता, नेटवर्किंग और परामर्श अभियान।

छोड़ना : स्टार्ट–अप को सहायता हेतु विनियामकों से उन्मुक्त करना।

स्पंदमान : शिक्षातंत्र में स्पंदन के माध्यम से स्टार्ट–अप को प्रोत्साहित एवं सहयोग करना।

पहुँच : वित्तीय और इन्क्यूबेशन सहायता को सुगम बनाना।

9. युवा : स्टार्ट–अप को हाँ

9.1 ''उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार अभियान'' को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता को बढ़ावा देना और स्टार्ट–अप के लिए नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की सुविधा उपलब्ध कराना।

समाज के सभी आर्थिक और सामाजिक वर्ग के युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर दोनों के रूप में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। युवाओं के बीच उद्यमिता संस्कृति को विकसित करने के लिए, सरकार निम्न कार्य करेंगी :

a. राज्य स्तर पर स्टार्ट–अप हितधारकों के सहयोग से ''उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार'' का जागरूकता अभियान चलाना एवं स्टार्ट–अप आउटरीच की शुरूआत करना।

b. सफल स्थानीय स्टार्ट–अपों की उपलब्धि को ''उद्यमिता पुरस्कार'' के माध्यम से चिन्हित एवं प्रोत्साहित करना।

c. राज्य स्तर पर चुनौती / व्यवसाय योजना प्रतिस्पर्धा का आयोजन करना।

d. व्यापार नेटवर्क–स्टार्ट–अप को बढ़ावा देने वाले उद्योग संघों / संगठनों को स्टार्ट–अप मेला जैसे स्टार्ट–अप जागरूकता अभियान के आयोजन में सहायता करना।

9.2 आइडिया डेवलपमेंट के लिए सहायता :

एक अनुकूल स्टार्ट–अप पारिस्थितिक तंत्र युवाओं को अपने स्टार्ट–अप आइडिया को एक सार्थक प्रस्ताव में परिवर्तित करने में सक्षम बनाता है। युवाओं को अपने विचारों को व्यक्त करने और विकसित करने के लिए एक उचित मार्गदर्शक प्रणाली आवश्यक है। जागरूकता फैलाने और संभावित उद्यमियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, राज्य आवश्यक वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा :

a. स्टार्ट–अप को बढ़ावा देने वाले शैक्षणिक संस्थानों, बिहार में स्थित औद्योगिक संघों / संगठनों के सहयोग से प्रमण्डलीय शहरों में उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ की स्थापना।

b. शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों में उद्यमिता सुविधा केंद्र की स्थापना।

9.2.1 उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ/उद्यमिता सुविधा केन्द्र निम्न कार्य करेंगे :

a. राज्य में ''उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार अभियान'' के तहत उद्यमिता के बारे में जागरूकता फैलाने और राज्य में स्टार्ट–अप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन करना।

b. छात्रों / संभावित उद्यमियों को अपने आईडिया स्टार्ट–अप पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न हितधारक जैसे सरकार, शिक्षा संस्थान, इनक्यूबेटर, उद्योगपति, कानूनी और व्यापार सलाहकार के समक्ष प्रस्तुत करने और बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना।

c. प्रारंभिक सलाह और व्यवसाय योजना सहायता, कंपनी पंजीकरण, बाजार अनुसंधान सहायता, व्यवसाय संरचना परामर्श और प्रबंधन परामर्श के लिए स्टार्ट–अप को सहयोग करना।

10. युवा : स्टार्ट–अप को सहायता हेतु विनियामकों से उन्मुक्त करना

10.1 बिहार में स्टार्ट–अप–पारिस्थितिक तंत्र के लिए व्यापक वन स्टॉप पोर्टल स्थापित करना।

स्टार्ट–अप के द्वारा ऑपरेशन शुरू करने के लिए संबंधित नियामक प्राधिकरणों से पूर्व वैधानिक मंजूरी आवश्यक है। प्रक्रियाओं के बारे में सीमित जागरूकता होना पंजीकरण में लगने वाले समय को बढ़ाता है, इसलिए स्टार्ट–अप का संचालन प्रारंभ करने में देरी होती है। इंटरएक्टिव ट्रेनिंग मैनुअल एवं चेकलिस्ट समर्थित एक सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम स्टार्ट–अप को आसान और समयबद्ध तरीके से खुद को पंजीकृत करने में सक्षम बनाता है।

स्टार्ट–अप पारिस्थितिक तंत्र को एक दूसरे के साथ समन्वय और सहयोग के लिए एक मंच की जरूरत है। विभिन्न हितधारकों की बातचीत और सूचना साझा करने के लिए एवं एकल मंच स्थापित करने हेतु एक स्टार्ट–अप बिहार पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। यह पोर्टल स्टार्ट–अप के लिए त्वरित पहुँच प्रदान करेगाः

a. पंजीकरण प्रक्रिया के लिए इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल और आवश्यक विभिन्न मंजूरी के लिए समय–सीमा के साथ चेकलिस्ट तक पहुँच।

b. प्रासंगिक प्राधिकार के साथ पंजीकरण और मानकीकृत प्रपत्रों के माध्यम से विभिन्न राज्य स्तरीय अनुपालनों को भरना।

c- पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए पोर्टल को भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य स्टार्ट–अप पोर्टलों के साथ भी संबद्ध किया जाएगा।

d. विभिन्न हितधारकों यथा–सलाहकारों और पेशेवर विशेषज्ञों, इन्क्यूबेटरों, शिक्षाविदों, इम्पैनल्ड परियोजना प्रबंधन सलाहकारों और एंजेल निवेशकों, सेबी–पंजीकृत ए.आई.एफ. (वैकल्पिक निवेश कोष) एवं अन्य हितधारकों के साथ विमर्श हेतु सहयोग करना।

e. ग्रोथ और स्केलबिलिटी की क्षमता वाले स्टार्ट–अप के लिए नेटवर्क के सलाहकारों को पैनल में शामिल करना।

f. स्टार्ट–अप के लिए उपलब्ध राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहनों तक पहुँच।

10.2 नियामक संरचना का अनुकूलन– स्टार्ट–अप पारिस्थितिक तंत्र के लिए नियामक वातावरण को सक्षम बनाना :

व्यवसाय शुरू करने में विभागीय अनुमोदन और मंजूरी के विभिन्न चरणों को प्राप्त करना शामिल है। अधिकांश स्टार्ट–अप जटिल नीतियों और नियामक ढांचे से अनजान हैं, जो उनके नियमित संचालन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए, सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह नियामक अनुपालनों, दंडात्मक कार्रवाईयों को कम करे और अगले चरण के आर्थिक विकास के इन प्रणोदकों को समर्थन / जागरूकता प्रदान करे।

उपरोक्त के क्रम में सरकार द्वारा निरीक्षणों को कम करके और स्व–प्रमाणन को प्रोत्साहित करके ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जायेगा।

a. स्टार्ट–अप को 5 वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न राज्य अधिनियमों के तहत संचालन के लिए लाइसेंस / पंजीकरण से छूट दी जाएगी। हालाँकि, वैधानिक लाइसेंस, यदि इसके व्यवसाय / गतिविधि की प्रकृति से जीवन और सुरक्षा को संभावित खतरा हो सकता है, (जैसे ड्रग लाइसेंस, FSSAI, बिल्डिंग प्लान, फायर फाइटिंग) को स्टार्ट–अप द्वारा प्राप्त करना आवश्यक होगा, तो ऐसे मामलों में सरकार लाइसेंस का खर्च वहन करेगी।

b. स्टार्ट–अप को सरकारी नियामक एजेंसियों द्वारा पाँच साल की अवधि के लिए निरीक्षण से छूट दी जाएगी, जब तक कि जीवन और सुरक्षा के लिए खतरा न हो। यदि किसी इकाई का निरीक्षण कतिपय कारणों से करना हो तो जिलाधिकारी की पूर्वानुमति लेनी होगी।

c. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार सालाना स्टार्ट–अप द्वारा स्व–घोषणा प्रस्तुत की जाएगी।

d. राज्य सरकार के विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादों / सेवाओं की खरीद प्रक्रिया में स्टार्ट–अप्स को वरीयता देने का परामर्श दिया जायेगा।

e. राज्य सरकार आगामी औद्योगिक पार्कों, एस.एम.ई. क्लस्टरों और हब में स्टार्ट–अप्स / इनक्यूबेटरों / साझा बुनियादी संरचना के लिए प्राथमिकता के आधार पर 10 प्रतिशत स्थान आवंटित करने का प्रयास करेगी।

11. युवा : शिक्षातंत्र में स्पंदन

शैक्षणिक संस्थान नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता को शुरू करने और शिक्षित करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं। सरकार छात्रों में उद्यमशीलता की भावना पैदा करने के लिए शिक्षा में सुधारों के महत्व को समझती है।

बिहार के युवाओं में स्टार्ट–अप संस्कृति और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार निम्न प्रकार से सहयोग / सिफारिश करेगी:

a. उच्च विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों / कार्यक्रमों में उद्यमिता मॉड्यूल शामिल करना। शिक्षण संस्थानों को ऐच्छिक के रूप में बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एम.ओ.ओ.सी.) शुरू करने और इंटर्नशीप / प्रशिक्षुता अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया जाएगा।

b. उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन और सहायता करने के लिए उद्यमिता सुविधा केंद्र बनाने के लिए शिक्षण / व्यावसायिक संस्थानों को सहयोग किया जाएगा।

c. छात्रों के बीच बिजनेस / इनोवेशन आईडिया प्रतियोगिताएं आयोजित करना। शॉर्टलिस्ट किए गए आईडिया को प्रोटोटाईप के लिए सहायता प्रदान की जाएगी और राज्य द्वारा आयोजित स्टार्ट–अप मेला में प्रदर्शित किया जाएगा।

d. 20 सामाजिक नवप्रवर्तकों को उनके आईडिया का समर्थन करने के लिए चुनौती अनुदान प्रदान करने के लिए उद्यमिता विकास प्रकोष्ठों के माध्यम से सामाजिक नवाचार चुनौती का आयोजन किया जाएगा।

12. युवा : वित्त और इन्क्यूबेशन सहायता तक पहुँच

12.1 इंक्यूबेशन सेंटर्स की सुविधा

होनहार स्टार्ट–अप्स के पोषण के लिए इनक्यूबेशन सेंटर महत्वपूर्ण हैं। वे मेंटरिंग नेटवर्क, मार्केट नेटवर्क, साझा भौतिक बुनियादी संरचना आदि तक पहुँच प्रदान करते हैं। भौतिक बुनियादी संरचना के निर्माण के लिए आम तौर पर बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इसे ध्यान में रखते हुए, स्टार्ट–अप्स को निम्नलिखित प्रोत्साहन / वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:

a. नए इन्क्यूबेटरों (भौतिक और आभासी दोनों) की स्थापना और राज्य समर्थित इन्क्यूबेटरों के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता।

b. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी / राज्य समर्थित स्टार्ट–अप को इन्क्यूबेट करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये प्रति इनक्यूबेटी की दर से व्यय की प्रतिपूर्ति।

c. सेबी पंजीकृत ए.आई.एफ. (वैकल्पिक निवेश कोष) से बिहार स्थित स्टार्ट–अप में प्राप्त निवेश को 2 प्रतिशत की दर से इन्क्यूबेटरों को वित्तीय प्रोत्साहन।

d. राज्य सरकार, भारत सरकार और बहुपक्षीय दाता एजेंसियों से इन्क्यूबेटरों द्वारा जुटाई गई निधि पर 1:1 आधारित अनुदान उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर उपलब्ध करायेगी।

12.2 राज्य समर्थित मेजबान संस्थान/इनक्यूबेटर :

स्टार्ट–अप सपोर्ट यूनिट (एस.एस.यू.) समय–समय पर एस.एम.आई.सी. के अनुमोदन से राज्य समर्थित मेजबान संस्थानों और राज्य प्रायोजित इन्क्यूबेटरों की सूची बिहार स्टार्ट–अप पोर्टल पर अपडेट करेगी।

12.3 **स्टार्ट–अप के लिए सामान्य आधारभूत संरचना :**

सरकार स्टार्ट–अप के लिए सामान्य आधारभूत संरचना के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगी। सामान्य आधारभूत संरचना में निम्नलिखित शामिल होंगे:

a. सह–कार्यस्थल।

b. आर. एंड डी. लैब, क्यूबिकल्स, कॉन्फ्रेंस रूम आदि जैसी साझा सुविधाएं प्रदान करना।

c. साझा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जैसे हाई–एंड–प्रिंटर, कंप्यूटर आदि।

d. कॉमन टेस्टिंग लैब और टूल रूम।

e. कानूनी, लेखा, प्रौद्योगिकी, पेटेंट, निवेश बैंकिंग जैसी साझा सेवाएं।

f. व्यक्तिगत उपयोग हेतु कक्ष एवं छात्रावास

g. इन्क्यूबेशन और स्टार्ट–अप के लिए सामुदायिक कार्यक्रम और प्रचार हेतु सहायता

h. सामान्य सुविधा केंद्र (गोदाम, भंडारण, गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशाला)

सामान्य आधारभूत संरचना के स्थान सरकार द्वारा अथवा पी.पी.पी. मोड के माध्यम से स्थापित किए जाएंगे। यह सहायता स्टार्ट–अप्स को बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार निःशुल्क एवं शुल्क के आधार पर निर्दिष्ट अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

12.4 इनक्यूबेशन केन्द्रों के अलावा, एक "बिहार इनोवेशन हब" स्थापित किया जाएगा, जो साझा कार्यक्षेत्र, व्यावसायिक व्यवसाय सलाहकार / परामर्श सहित एक इनक्यूबेटर की सभी सेवाएं प्रदान करेगा, वित्त पोषण तक पहुँच और व्यावसायीकरण के चरण में नेटवर्किंग और विलय और अधिग्रहण सहित मूल्यांकन सलाह सहायता प्रदान करना शामिल हैं। अपनी पहुँच को व्यापक बनाने के लिए इस इनोवेशन हब को वर्चुअल इनक्यूबेटर में विस्तारित किया जाएगा।

12.5 **स्टार्ट–अप्स के लिए वित्तीय सहायता :**

स्टार्ट–अप्स के लिए उसके बिजनेस साइकिल के विभिन्न चरणों में फंडिंग सहायता मुहैया कराया जाएगा।

सत्यापन चरण :

12.5.1 **सीड फंडिंग सपोर्ट :**

स्टार्ट–अप को 10 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रति स्टार्ट–अप 10 लाख रुपये तक का बीज अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह वित्तीय सहायता माइलस्टोन / चरणों और रेटिंग प्रणाली में परिभाषित निष्पादन मानकों को प्राप्त करने पर जारी की जाएगी। स्टार्ट–अप को विचार के सत्यापन, प्रोटोटाइप विकास, यात्रा लागत के लिए सहायता और क्षेत्र / बाजार अनुसंधान / कौशल प्रशिक्षण / विपणन और स्टार्ट–अप स्थापित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधियों आदि के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा सकती है। वास्तविक राशि फंडिंग रेटिंग एजेंसी द्वारा किए गए आकलन पर आधारित होगी। 10 साल बाद ऋण लौटाया जाएगा।

व्यावसायीकरण चरण :

12.5.2 प्रारंभिक चरण में वित्तपोषण सहायता

a. स्टार्ट–अप्स का निःशुल्क मूल्यांकन।

b. एंजेल निवेशकों तक पहुँच को सुगम बनाना।

c. राज्य के पंजीकृत एंजेल निवेशकों से प्रारंभिक चरण के वित्त पोषण एवं निवेश जुटाने के लिए स्टार्ट–अप को निवेश का 2 प्रतिशत सफलता शुल्क प्रदान किया जाएगा।

d. मैचिंग सपोर्ट : एंजेल ग्रुप्स और कैटेगरी– I अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स द्वारा स्टार्ट–अप्स में निवेश की गई राशि के बराबर की वित्तीय सहायता स्टार्ट–अप को ऋण के रूप में दी जा सकती है। एस.एम.आई.सी. द्वारा समय–समय पर ब्याज दर और ऋण के नियम और शर्तों को अधिसूचित किया जाएगा।

e. एक्सेलेरेशन प्रोग्राम में नामांकन और भाग लेने के लिए सहायता : राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एक्सेलेरेशन प्रोग्राम के लिए नामांकन और भाग लेने के लिए प्रति स्टार्ट–अप 3 लाख रुपये तक की सहायता। इसमें भाग लेने के लिए भुगतान किए गए शुल्क/चार्ज की सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य माना जायेगा।

12.5.3 स्केल–अप फंडिंग सपोर्ट :

a. एस.एम.आई.सी. सेबी पंजीकृत ए.आई.एफ. (वैकल्पिक निवेश फंड) और वेंचर कैपिटल फंड में भाग ले सकता है। इस प्रकार सृजित वेंचर कैपिटल फंड बिहार में स्थित स्टार्ट–अप में कम से कम 50 प्रतिशत (वी.सी. फंड में ट्रस्ट द्वारा किए गए योगदान के दोगुने के बराबर) का निवेश करेगा।

b. एस.एम.आई.सी. बी.एस.ई./एन.एस.ई. जैसे राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंजों के सहयोग से स्टार्ट–अप की लिस्टिंग और सार्वजनिक निर्गम में सहायता प्रदान करेगा।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत प्रोत्साहन/प्रावधान स्टार्ट–अप के लिए उपलब्ध होंगे। यद्यपि, एक से अधिक योजनाओं से एक ही घटक के लिए प्रोत्साहन का दावा नहीं किया जा सकता है।

भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध प्रासंगिक सुविधाओं का लाभ उठाने का प्रयास किया जाएगा।

रेटिंग तंत्र के माध्यम से स्टार्ट–अप के वर्गीकरण के आधार पर सभी प्रोत्साहनों का लाभ उठाया जाएगा।

12.6 पेटेंट आवेदन दाखिल करने के लिए शून्य लागत – घरेलू और विदेशी :

बौद्धिक संपदा (आई.पी.) स्टार्ट–अप या उद्यमियों के लिए एक अमूल्य व्यावसायिक उपकरण है, जो किसी के व्यवसाय को प्रारंभिक स्तर पर शुरुआत प्रदान करता है। निवेशक आई.पी. पर काफी जोर देते हैं और जोखिम के लिए अच्छे मूल्यों का सृजन करते है। स्टार्ट–अप्स द्वारा आई.पी.आर. (बौद्धिक संपदा अधिकार) के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने और आई.पी.आर. के संरक्षण और व्यावसायीकरण हेतु सुविधा सहायता प्रदान करने के लिए सरकार निम्न प्रावधान करेगी :

a. घरेलू पेटेंट आवेदन फाईल करने से जुड़ी सभी लागतों का वहन करना।

b. विदेशी पेटेंट के लिए फाईलिंग शुल्क हेतु प्रतिपूर्ति के रूप में अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना।

12.7 **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं एवं दिव्यांग :**

निम्नलिखित प्रोत्साहनों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन पूरी तरह से वैसे स्टार्ट–अप पर लागू होंगे, जो इस श्रेणी के किसी एक व्यक्ति या इस श्रेणी में परिभाषित व्यक्तियों के समूह के पूर्ण स्वामित्व में हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की पहचान करने और उनमें उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएगें।

12.7.1 एस.एम.आई.सी. उन्हें अपने उद्यम स्थापित करने में विशेष रूप से मदद उपलब्ध कराने हेतु परियोजना प्रबंधन इकाइयों की स्थापना कर सकता है।

12.7.2 इस श्रेणी के अंतर्गत उद्यमियों को इस नीति के खंड 12.5.1 और 12.5.2 के तहत निर्धारित सीमा से अतिरिक्त अनुदान / छूट / सब्सिडी का लाभ मिलेगा

a. महिला उद्यमः अतिरिक्त 5 प्रतिशत

b. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातिः अतिरिक्त 15 प्रतिशत

c. दिव्यांगः अतिरिक्त 15 प्रतिशत

12.7.3 स्टार्ट–अप के वित्तपोषण के लिए कुल कोष का अतिरिक्त 22 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए आरक्षित होगा।

12.7.4 आवश्यकता के आधार पर बी.एस.एफ.टी., अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिलाओं और दिव्यांग से संबंधित स्टार्ट–अप को प्रमाणित करने के लिए पात्रता मानदंड में छूट दे सकता है, जैसा कि क्लाज–5 में उल्लिखित है।

13. बाहर निकलने की शर्ते :

यदि कंपनी को धोखाधड़ी के किसी भी आरोप में दोषी पाया जाता है या यदि कंपनी को इस नीति से किसी भी लाभ का दावा करने या प्राप्त करने के लिए कोई झूठी घोषणा की गई है तो वित्तीय सहायता की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

b एक बार जब किसी संस्था के स्टार्ट–अप की मान्यता समाप्त हो जाती है तो सरकार या संस्था जिसके माध्यम से सरकार अपना निवेश करती है, वह स्टार्ट–अप में अपने निवेश को बाहर निकालने के लिए पात्र होगी और एस.एम. आई.सी. द्वारा स्टार्ट–अप में निवेश को चैनलाइज करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। जब सरकार या उसकी प्रतिनिधि संस्था अपने निवेश को बाहर निकालती है तो उसका स्टार्ट–अप के बोर्ड में एक प्रतिनिधि निदेशक को नामित करने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है।

14. नेकनीयती से की गई कार्रवाई का संरक्षण :

a स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट, वित्तीय प्रबंधन कंपनी / सोसाईटी या इस नीति के कार्यान्वयन में शामिल किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई भी मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, जो कि सद्भाव में किया गया है या करने का इरादा है या इस नीति के तहत या इसके तहत दिए गए किसी आदेश, कार्यकारी निदेश या निर्देश के अनुसरण में हो।

b स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट वित्तीय प्रबंधन कंपनी / सोसाइटी या इस नीति के कार्यान्वयन में शामिल किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई भी मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, जो किसी भी चीज के कारण होने वाली क्षति या

संभावित नुकसान के लिए सदभाव में किया गया है या करने का इरादा है, इस नीति या किसी आदेश, कार्यकारी निर्देश या उसके तहत दिए गए निर्देश के अनुसरण में।

15. बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2017 के तहत जो कार्य किये जा रहे हैं, वह बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2022 के तहत आच्छादित माने जायेंगे।

16. नीति के अनुवादित संस्करण के अर्थ और व्याख्या में किसी विसंगति के मामले में अंग्रेजी भाषा संस्करण सभी प्रकार से बाध्यकारी तथा प्रबल होगा।

17. यह नीति बिहार राजपत्र में इस नीति की अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी तथा अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा।

18. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 17.06.2022 को मद संख्या–13 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश

27/6/22

(संदीप पौण्डरीक)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 1502 / पटना, दिनांक: 27.06.2022

सं0सं0– 4तक0 / स्टार्ट अप नीति संशोधन / 155 / 2021

अनुलग्नक

परिभाषाएँ

एक्सलरेशन कार्यक्रम : एक एक्सलरेशन कार्यक्रम आम तौर पर शुरुआती कर्षण और स्केलिंग चरण में स्टार्टअप के लिए 3–4 महीने का कार्यक्रम है। यह स्टार्टअप के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से गहन, तीव्र और व्यापक शिक्षा की एक प्रक्रिया है।

एंजेल इन्वेस्टर: एंजेल इन्वेस्टर (जिसे बिजनेस एंजल / अनौपचारिक निवेशक के रूप में भी जाना जाता है) एक व्यक्ति या निवेशकों का समूह है जो परिवर्तनीय ऋण / इक्विटी के बदले प्रारंभिक व्यावसायीकरण चरण में स्टार्ट–अप्स में निवेश करते हैं।

वैकल्पिक निवेश कोष : वैकल्पिक निवेश कोष (ए0आई0एफ0) को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के विनियम 2(1) (बी) में परिभाषित किया गया है। यह किसी भी निजी रूप से जमा निवेश कोष (चाहे भारतीय से या विदेशी स्रोत), एक ट्रस्ट या एक कंपनी या एक निकाय कॉर्पोरेट या एक सीमित देयता भागीदारी (एल0एल0पी0) के रूप में, जो वर्तमान में सेबी के गवर्निंग फंड मैनेजमेंट (जैसे, म्यूचुअल फंड या सामूहिक निवेश योजना को नियंत्रित करने वाले विनियम) के किसी भी विनियमन द्वारा कवर नहीं किया गया है। भारत–आई0आर0डी0ए0, पी0एफ0आर0डी0ए0, आर0बी0आई0 में किसी भी अन्य क्षेत्रीय नियामकों के प्रत्यक्ष विनियमन के तहत नही आ रहा है।

श्रेणी । वैकल्पिक निवेश कोष : श्रेणी । वैकल्पिक निवेश कोष को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के विनियम 3(4) (ए) में परिभाषित किया गया है। यह ए0आई0एफ0 को संदर्भित करता है जो स्टार्ट–अप या जल्दी में निवेश करते हैं मंच उद्यम या सामाजिक उद्यम या एस0एम0ई0 या बुनियादी ढांचा या अन्य क्षेत्र या क्षेत्र जिन्हें सरकार या नियामक सामाजिक या आर्थिक रूप से वांछनीय मानते हैं और इसमें उद्यम पूंजी निधि, एस0एम0ई0 फंड, सामाजिक उद्यम फंड, बुनियादी ढांचा फंड और ऐसे अन्य वैकल्पिक निवेश फंड शामिल हैं जिन्हें निर्दिष्ट किया जा सकता है।.

व्यावसायीकरण चरण : व्यावसायीकरण चरण स्टार्ट–अप के जीवन चक्र में एक अभिन्न चरण को संदर्भित करता है जिसमें स्टार्ट–अप अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं और उत्पाद ६ सेवाओं का व्यावसायीकरण करते हैं।

नि:शक्तजन : जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और विकलांग व्यक्ति के कल्याण के लिए अधिनियमित किसी अन्य प्रावधान में परिभाषित किया गया है।

इकाई: इकाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत) या एक पंजीकृत भागीदारी फर्म (भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के तहत) या सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत) को संदर्भित करती है।

वित्तीय प्रबंधन कंपनी/सोसाइटी : इसका अर्थ है पैरा 11.6 के अनुसार।

फंड प्रबंधक : वित्तीय प्रबंधन कंपनी / सोसाइटी इस नीति के तहत उल्लिखित फंड और गतिविधियों के प्रबंधन के लिए एक या अधिक फंड मैनेजर नियुक्त करेगी।

सरकार : इस नीति में बिहार सरकार का अर्थ है जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

आइडिया स्टेज : आइडिया स्टेज स्टार्ट–अप्स के जीवन चक्र में एक अभिन्न चरण को संदर्भित करता है जिसमें अवधारणा की सफलता / विफलता का मूल्यांकन करने के लिए विचार का व्यवहार्यता विश्लेषण किया जाता है।

इन्क्यूबेटर: इन्क्यूबेटर का अर्थ है भौतिक स्थान जो उद्यमियों को व्यवसाय नियोजन, परामर्श, उनकी शीर्ष टीम की भर्ती, उनकी प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण, उनके उत्पादों को विकसित करने, प्रारंभिक बीज वित्त पोषण प्राप्त करने, साझेदारी बनाने में मदद करके सफल और लाभदायक उद्यम बनने में उनके विचारों को परिवर्तित करने में मदद करता है। राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर, बौद्धिक संपदा पर सलाह, प्रशिक्षण और विकास और कई अन्य चीजें। यह एक निजी एजेंसी या एक सरकारी संस्थान हो सकता है।

सलाह: सलाह आम तौर पर उद्योग के विशेषज्ञों / शिक्षाविदों का एक पूल है जो निष्पक्ष मार्गदर्शन, रणनीतिक समर्थन और सोच प्रदान करके स्टार्ट–अप की मदद करता है और उन्हें अपना नेटवर्क बनाने में मदद करता है।

प्रारंभिक जाँच समिति (पी.एस.सी.) : 11.2 के अनुसार।

पंजीकृत : 'पंजीकृत' से अभिप्रेत है कंपनी रजिस्ट्रार (आर0ओ0सी0) से निबंधित अस्तित्व।

बीज अनुदान : सीड ग्रांट एक वित्तीय सहायता है जो स्टार्ट–अप्स को एक प्रोटोटाइप उत्पाद विकसित करने और बाद के दौर के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त निवेशक रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता के नियम और शर्तें पैरा 10.5.1 में उल्लिखित हैं।

अनुसूचित जाति (एस.सी.)/अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) उद्यम : उद्यम पूरी तरह से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व में है। किसी उद्यम में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की आंशिक शेयरधारिता को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यम के रूप में नहीं माना जाएगा।

स्टार्ट–अप सेल (एस.सी.) : इसका अर्थ है पैरा 11.1 के अनुसार

स्टार्ट–अप निगरानी और कार्यान्वयन समिति (SMIC) : 11.3 के अनुसार मतलब है।

राज्य समर्थित इन्क्यूबेटर/इनक्यूबेशन सेंटर : ऐसे इन्क्यूबेटर्सजो बिहार सरकार और / या भारत सरकार द्वारा समर्थित है।

टी.बी.आई. : विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (टी.बी.आई.)।

ट्रस्ट/बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट : ट्रस्ट का अर्थ नीति समीक्षा और इस नीति के कार्यान्वयन के उद्देश्य से भारत ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा गठित एक नोडल एजेंसी है।

सत्यापन चरण : सत्यापन चरण स्टार्ट–अप्स के जीवन चक्र में एक अभिन्न चरण को संदर्भित करता है जिसमें उत्पाद / सेवा का उत्पादन और सीमित क्षमता में वितरित किया जाता है जिसे सफलता और आवश्यकता पर बढ़ाया जा सकता है।

उद्यम पूंजी : उद्यम पूंजी कंपनियों द्वारा शुरू की गई परियोजना के महत्वपूर्ण मूल्यांकन पर व्यावसायीकरण के चरण में स्टार्ट–अप में निवेश किया गया फंड है। आम तौर पर पूंजी का निवेश इक्विटी शेयर होल्डिंग के बदले में किया जाता है।

महिला उद्यम : महिला के नेतृत्व वाला एक उद्यम जिसमें 100 प्रतिशत हिस्सेदारी महिला के स्वामित्व में है। किसी उद्यम में महिला की आंशिक हिस्सेदारी को महिला उद्यम नहीं माना जाएगा।